विभाग का नाम : खाद्य, सम्भरण एवं उपभोक्ता कार्य कलाप विभाग आपूर्ति
विभाग का पता : के–ब्लॉक, विकास भवन, नई दिल्ली.

अतारांकित प्रश्न संख्या– 129
दिनांक : 30 जुलाई, 2021
प्रश्नकर्ता का नाम : श्री भूपिंदर सिंह जून

क्या माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
क)	पूरी दिल्ली और विशेषकर बिजवासन एसी–36 में, वर्तमान में नए राशन कार्ड जारी किए जाने हेतु कितने आवेदन लंबित हैं;	पूरी दिल्ली में नए राशन कार्ड के लिए 2,09,874 आवेदन तथा बिजवासन सर्कल में 7,293 आवेदन दिनॉक 25.07.2021 तक लंबित है।
ख)	उपभोक्ता द्वारा नया राशन कार्ड जारी किए जाने हेतु आवेदन किए जाने की तिथि से नया कार्ड जारी करने में विभाग को कितना समय लगता है;	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत नए राशन कार्ड के आवेदनो का निस्तारण 30 दिन के अंदर किए जाने का प्रावधान है। बशर्ते आवेदक एन. एफ.एस. कार्ड के लिए पात्र हो तथा राशन कार्ड बनाने हेतु रिक्तियां उपलब्ध हों। दिल्ली के लिए कुल 72,77,995 लाभार्थियों की सीमा निश्चित की गई है जो कि पहले ही पूरी हो चुकी है।कार्ड निरस्त होने व नाम कटने से रिक्तियां (Vacancy) होने पर "प्रथम आगम प्रथम निर्गम" (FIFO) के अनुसार नए कार्ड बनाए जा सकेगें ।
ग)	क्या दिल्ली के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए नए राशन कार्ड जारी किए जाने हेतु कोई कोटा निर्धारित है;	कोई कोटा निर्धारित नही है।
घ)	आय के गलत प्रमाण या अन्य ऐसे ही गलत विवरण के आधार पर जो राशनकार्ड जारी हो गए हैं, ऐसे बोगस, अनुपयुक्त और अयोग्य उपभोक्ताओं को छाँटने के लिए क्या कोई व्यवस्था है; और	जी हाँ । टी.पी.डी.एस., 2015 की धारा 4(19) में राशन कार्डों को निरस्त करने के लिए उल्लिखित प्रावधान इस प्रकार है:– *"राज्य सरकार बोगस या अपात्र राशनकार्डों का उन्मूलन करने के लिए प्रत्येक वित वर्ष के अंत से पूर्व एक वार्षिक विशेष अभियान आयोजित करेगी"*
ङ)	क्या नए राशनकार्डों के लिए लंबित आवेदनों के पिछले शेष कार्य को निपटाने के लिए दिल्ली में 72 लाख राशनकार्डों की ऊपरी सीमा को संशोधित किए जाने की कोई योजना/प्रस्ताव है?	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लाभार्थियों की ऊपरी सीमा में संशोधन का कार्य भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। विभाग द्वारा दिल्ली में इस सीमा को बढाने के लिए 31.12. 2020 के पत्र के माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध किया गया था । जिसपर भारत सरकार ने पत्र दिनांक 18.01.2021 के द्वारा कोटा बढ़ाने में असमर्थता व्यक्त की है।

Secretary-Cum-Commissioner
Deptt. of Food,Supplies & Consumer Affairs
Govt. of N.C.T. of Delhi
K- Block, Vikas Bhawan, I. P. Estate
New Delhi- 110002